B-3 4
L-17
I. Polity

# संपत्ति का अधिकार

**संविधान संशोधन**

(i) प्रथम (1st)
(ii) चौथा (4th)
(iii) सत्रहवां (17th)
(iv) पच्चीसवां (25th)
(v) बयालीसवां (42th)
(vi) 44th

**न्यायालय के निर्णय**

(A) शंकरी प्रसाद वाद (1950)
(B) गोलकनाथ वाद (1967)
(C) R.C. Cooper Case (1969) (बैंकों का राष्ट्रीयकरण) वाद
(D) माधवराव सिन्धिया वाद (प्रीवीपर्स वाद) (1969)
(E) मिनर्वा मिल्स वाद (1980)
(F) कोलकाता नगर निगम वाद (2024)

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

## मुद्दे

- मूल अधिकारों के संशोधन
- मूल अधिकार
  - निदेशक तत्व
  - अनुच्छेद 39(b)(c)
  - अनुच्छेद 19(1) F / 31 (1)(2)
- (i) संसद को संविधान संशोधन की शक्ति
  (ii) न्यायिक पुनरावलोकन

**मूल अधिकारों की रक्षा**

(i) अनुच्छेद 13(2)
किसी भी विधि के द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नही होगा।

**अनुच्छेद-32**
- संवैधानिक उपचार

**संसद को संविधान संशोधन की शक्ति** - अनुच्छेद 368



Scanned by CamScanner

संसद का मूल अधिकारों पर हमला :-

(i) सम्पत्ति के अधिकार के कारण भूमि सुधार और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो रही थी इसलिए अनुच्छेद 31 को सीमित करने के लिए 31(A) और 31(B) पहले संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं।

(ii) 31(A) के अन्तर्गत राज्य को शक्ति दी गई कि इसके द्वारा खान (mine), रियासतें, खानों के लिए दिये गए लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।

(iii) 31(A) में ही उल्लेखित किया गया कि राज्य किसी भी निगम या कार्पोरेट को अधिग्रहित कर सकता है तथा दो निगमों को आपस में मिला सकता है।

(iv) राज्य के द्वारा निगमों के शेयर धारकों के अधिकार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी बदला जा सकता है।

(v) पहले संविधान संशोधन से ही अनुच्छेद 31(B) को जोड़ा गया जिसके द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें राज्यों के द्वारा निर्मित भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षण दिया गया, जिसके अनुसार नवीं अनुसूची में रखे गए किसी विषय को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकार का



KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
Scanned by CamScanner

विरोधी है और नवीं अनुसूची केवल भूमि सुधार अधिनियमों को बचाने के लिए लायी गयी थी।

## पहला संविधान संशोधन और न्यायालय का निर्णय

1. मूल अधिकार को भाग 3 में विशेष संरक्षण प्राप्त है क्योंकि अनुच्छेद-13(2) में यह उल्लेखित है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध राज्य किसी प्रकार की विधि का निर्माण नही कर सकता है। लेकिन ↓

### Law (विधि) के दो प्रकार

(i) सामान्य विधि
- भूमि सुधार अधिनियम

(ii) संवैधानिक विधि
- 31 (A) (B)
- मूल अधिकारों को छीन सकता है

### संविधान संशोधन विधि अथवा संवैधानिक विधि में अन्तर :-

- भारत में संसद द्वारा निर्मित विधियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है
(i) संविधान संशोधन विधि
(ii) सामान्य विधि



KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR
Scanned by CamScanner

- संविधान संशोधन विधि संसद की संविधायी शक्ति है जिसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

- संविधान संशोधन विधि के लिए लोकसभा और राज्य सभा अलग- अलग विधेयों को पारित करते हैं और जिन पर राष्ट्रपति वीटो मना नहीं कर सकते।

- जबकि सामान्य विधियों संसद और विधान सभाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है जिसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है।

- सामान्य विधि के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है।

- इन पर राष्ट्रपति भी वीटो कर सकता है।

संसद और न्यायालय के बीच का संघर्ष :-

- पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद वाद में चुनौती दी गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक मान लिया।

- जिससे मूल अधिकारों में संशोधन का रास्ता साफ हो गया।

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 (2) में उल्लेखित विधि में सामान्य विधि शामिल है इसमें संशोधन विधि शामिल नहीं है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform



Scanned by CamScanner

- अत: न्यायालय ने यह मान लिया कि निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार की कटौती की जा सकती है इसीलिए सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया गया।

मुआवजा का मुद्दा :-

- पहले संविधान संशोधन के बाद सम्पत्ति का अधिकार सीमित कर दिया गया। इसलिए अगला विवाद मुआवजे को लेकर उत्पन्न हो गया और उच्चतम न्यायालय ने बेला बनर्जी वाद में कहा कि मुआवजा मनमानी नहीं हो सकता बल्कि यह बाजार दर पर होना चाहिए। लेकिन संसद ने चौथा संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया कि मुआवजा को निर्धारित करना न्यायालय का कार्य नहीं है अपितु यह राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

न्यायपालिका का U टर्न

गोलक नाथ वाद (1967) में उच्चतम न्यायालय ने अभी तक दिये गए अपने ही निर्णयों को पलट दिया और 11 न्यायधीशों की बेंच के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा -

(i) मूल अधिकार अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण हैं जिसे संविधान संशोधन द्वारा भी छीना नहीं जा सकता।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR



Scanned by CamScanner

(ii) गोलकनाथ वाद में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गयी थी। न्यायपालिका ने इसे रद्द नहीं किया अपितु भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत देते हुए कहा।

कि इस निर्णय के बाद किसी भी मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता।

(iii) उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13 (3) में उल्लेखित विधि में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। जिसका यह अर्थ है कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है।

- सामान्य विधि निर्माण की शक्ति और संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद - 245 अथवा अनुच्छेद - 246 से प्राप्त होती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR



Scanned by CamScanner